

# कार्यालय उप निदेशक कृषि (वि०) जि०प० सीकर

क्रमांक:-लेखा/2018-19/1332


दिनांक:- 15.06.2018

## खुली बोली सूचना (निविदा सं० 1/2018-19)

सॉयल हैल्थ कार्ड योजना में मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला में कंप्यूटर कार्य व तकनीकी विश्लेषण के कार्य सेवाप्रदाता संस्थाओं (रजिस्टर्ड) से निम्नानुसार जॉब बेसिस आधार पर ऑउटसोर्स से करवाये जाने हेतु सीलबंद लिफाफे में निविदायें 29.06.2018 को दोपहर 3.00 बजे तक आमंत्रित की जाती हैं। प्राप्त निविदाएँ उसी दिन अपरान्ह 4.00 बजे बाद उपस्थित बोलीदाताओं के समक्ष खोली जावेगी। निविदा (बोली) प्रपत्र एवं कार्य विवरण तथा शर्तें दिनांक 29.06.2018 को दोपहर 2.00 बजे तक इस कार्यालय से निर्धारित शुल्क जमा करवा कर प्राप्त की जा सकती है। अमानत राशि के लिये निर्धारित राशि का डीडी / बैंकर्स चैक संलग्न करना होगा।

क्र. सं.	कार्य का नाम	नमूनों की संभावित संख्या	कार्यावधि	कार्य की अनुमानित लागत	अमानत राशि	निविदा शुल्क
1	मृदा परीक्षण नमूनों का कंप्यूटर संबंधी कार्य—(सॉयल हैल्थ कार्ड प्रिण्ट आदि)	12000—15000	जून 2018 से मार्च 2019 तक	3.225 लाख	6450.00	200.00
2	मृदा नमूनों का तकनीकी विश्लेषण कार्य—	10000—12000				

बोली प्रपत्र एवं बोली की शर्तें <http://sppp.raj.gov.in> व कृषि विभागीय वेबसाइट <http://krishi.raj.gov.in> पर भी देखी अथवा डाउनलोड की जा सकती है। डाउनलोड किये गये बोली प्रपत्र के साथ बोली शुल्क रु. 200/- का डीडी / बैंकर्स चैक संलग्न करना होगा। **UBN - AGR1819SS0B60107**


  
उप निदेशक कृषि (वि०)  
जि०प० सीकर

दिनांक:- 15.06.2018

क्रमांक:-लेखा/2018-19/1332

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- श्रीमान् आयुक्त सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राज० जयपुर को D.I.P.R की निर्धारित दर पर व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु एक क्षेत्रीय दैनिक समाचार-पत्र में प्रकाशित करवाने हेतु मय सीडी प्रेषित है।
- श्रीमान् संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार ) सीकर खंड सीकर।
- श्रीमान् सहायक कम्प्यूटर प्रोग्रामर, कृषि आयुक्तालय, राजस्थान जयपुर को भेजकर लेख है कि विभागिय वेबसाईट पर उक्त निविदा अपलोड करावे।
- स्थानिय सेवा प्रदाता संस्थाएं.....
- नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा / Sppp.Raj.nic.in पर अपलोड हेतु।

  
उप निदेशक कृषि (वि०)  
जि०प० सीकर

**कार्यालय उप निदेशक कृषि (वि०) जि०प० सीकर  
बोली प्रारूप**

1	कार्यालय का नाम	उपनिदेशक कृषि (विस्तार) सीकर	
2	खुली बोली सूचना सं०	01/2018-19 क्रमांक.....	दिनांक 15.06.2018
3	बोली प्राधिकारी	उपनिदेशक कृषि (विस्तार) सीकर	
4	बोली प्राप्त करने की दिनांक व समय	29.06.2018 सायं 3.00 बजे तक	
5	बोली खोलने की दिनांक व समय	29.06.2018 सायं 4.00 बजे	
6	बोलीदाता का विवरण	बोली दाता/प्राधिकृत व्यक्ति व फर्म का नाम पता ..... दूरभाष नं०..... मो०.....	
7	कार्य का विवरण	सॉयल हैल्थ कार्ड योजना में जॉब बेसिस मृदा परीक्षण नमूनों का कंप्यूटर कार्य एवं तकनीकी विश्लेषण कार्य	
8	अनुबंध अवधि	वर्ष 2018-19 में 31 मार्च 2019 तक	
9	प्रस्तावित दर	कार्य का नाम	प्रस्तावित दर
		<b>मृदा परीक्षण नमूनों का कंप्यूटर संबंधी कार्य-</b> ऑनलाइन सॉफ्टवेयर पर संपूर्ण डाटा इंद्राज एवं टंकण कार्य, मृदा नमूनों की संपूर्ण सूचनाओं जिसमें कृषकों का नाम, खसरा नंबर, फसल जांच परिणाम, सॉयल हैल्थ कार्ड तैयार करना तथा प्रिंट करना	अकों में ..... शब्दों में ..... (प्रति कार्ड)
		<b>तकनीकी विश्लेषण कार्य-</b> प्रयोगशाला में विश्लेषण हेतु अभिकर्मक तैयार करना, नमूनों को जांच हेतु लगाना, नमूनों का विश्लेषण में सहयोग करना, विश्लेषण परिणाम तैयार करना, सॉयल हैल्थ कार्ड तैयार कराना इत्यादि।	अकों में ..... शब्दों में ..... (प्रति नमूना)
10	बोली शुल्क 200 रू०	रसीद संख्या ..... दिनांक .....	
11	अमानत राशि 6450 रू०	रसीद संख्या/डीडी संख्या ..... दिनांक .....	

मैंने/हमने उपनिदेशक कृषि विस्तार सीकर द्वारा गठित उपापन समिति द्वारा जारी की गई बोली की समस्त शर्तों को अच्छी तरह से समझ ली है, तथा मुझे/हमें बोली की समस्त शर्तें मंजूर हैं व उनके सभी पृष्ठों पर उल्लेखित शर्तों का मेरे/हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने के प्रमाण में मैंने/हमने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

बोलीदाता के हस्ताक्षर

## कार्यालय उप निदेशक कृषि (वि०) जि०प० सीकर

**सॉयल हेल्थ कार्ड योजना में सेवाप्रदाता संस्थाओं (रजिस्टर्ड) से जॉब बेसिस आधार पर विश्लेषित मृदा नमूनों का कंप्यूटर कार्य एवं तकनीकी विश्लेषण कार्य ऑउटसोर्स की बोली शर्तों—**

**नोट :-**बोलीदाता को बोली फार्म भरने से पूर्व निम्न शर्तों को ध्यान पूर्वक पढ़ने के पश्चात ही बोली शर्तों के प्रत्येक पृष्ठ पर अपने हस्ताक्षर करने चाहिए तथा बोली के साथ संलग्न करें।

1. इच्छुक बोलीदाता अपनी दरें उचित रूप से मुहरबंद लिफाफे में जिस पर "सॉयल हेल्थ कार्ड योजना में मिट्टी परीक्षण के कार्य हेतु जॉब बेसिस आधार पर आउटसोर्स हेतु बोली" लिखकर ही प्रस्तुत करें। खुली बोली पाये जाने पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
2. बोली फार्म पेन/बॉल पेन से अथवा टंकण से भरा हुआ ही प्रस्तुत किया जावे। पेन्सिल से भरा हुआ बोली फार्म स्वीकृत नहीं किया जावेगा। बोली के प्रत्येक पेज पर शर्तों एवं समझौतों पर सहमति स्वरूप बोलीदाता के हस्ताक्षर आवश्यक हैं।
3. बोलीदाता को अपनी दरें अंको एवं शब्दों में साफ-साफ लिखा जाना चाहिए। इनमें कोई त्रुटियां/अपरिलेखन नहीं होना चाहिए/अशुद्धियां होने पर लघु हस्ताक्षर आवश्यक हैं।
4. बोली शुल्क रु 200/- है, जो वापस देय नहीं होगा।
5. बोली निर्धारित प्रपत्र में ही स्वीकार की जावेगी तथा बोली के साथ बोली के अनुमानित मूल्य के 2 प्रतिशत धरोहर राशि रुपये 6450 (अर्नेस्ट मनी) जमा करानी होगी। इसके अभाव में बोली पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
6. बोली में रजिस्टर्ड सेवा प्रदाता संस्थाएं ही भाग ले सकेंगी। बोलीदाता को सेवाप्रदाता संस्था के रूप में नियमानुसार आवश्यक रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, तथा रु 10.00 लाख से अधिक टर्नओवर होने पर सेवाकर पंजीयन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। साथ ही पैन नंबर, बैंक खाता की फोटो प्रति भी संलग्न करें।
7. किसी प्रकार का निजी सेवा अनुबंध नहीं किया जायेगा।
8. बोली फार्म दिनांक 29.06.2018 को दोपहर 2.00 बजे तक कार्यालय में बोली शुल्क 200 रु० जमा करवा कर कय किया जा सकेगा तथा डाउनलोड किये गये बोली प्रपत्र के साथ बोली प्रपत्र शुल्क की राशि का बैंकर चैक/डीडी बोली के साथ पृथक से जमा संलग्न कर, विधिवत भरा हुआ बोली फार्म मय अमानत राशि के डीडी/रसीद सहित बंद लिफाफे में दिनांक 29.06.2018 को दोपहर 3 बजे तक कार्यालय में जमा करवाना होगा। प्राप्त बोलीयां, बोली प्राप्ति के अन्तिम दिवस को ही दोपहर 4 बजे उपस्थित बोलीदाताओं के समक्ष उपापन कमेटी द्वारा खोली जावेगी।
9. सफल बोलीदाता को कार्य की लागत का 5 प्रतिशत राशि प्रतिभूति राशि के रूप में जमा करवा कर 500 रु० के नोन ज्युडिशियल स्टाम्प पर अपने खर्च से अनुबंध/ करार पत्र निष्पादित करना होगा। अमानत राशि का प्रतिभूति राशि में समायोजन कर लिया जावेगा।
10. फर्म को उक्त कार्य करने का अनुभव होने पर, अनुभव प्रमाण पत्र लगाने होंगे।
11. दरें सभी करें, शुल्क सहित प्रति नमूना की दर से प्रस्तुत करनी होंगी। बोलीदाता फर्म द्वारा उल्लेखित प्रति नमूना दर के अतिरिक्त कोई राशि भुगतान योग्य नहीं होगी।
12. बोली में कोई शर्त मान्य नहीं होगी। सशर्त बोली स्वतः निरस्त मानी जायेगी।
13. कार्य पूर्णतया जॉब बेसिस है, अर्थात् कार्य हेतु बोलीदाता फर्म द्वारा ही कार्मिकों की व्यवस्था करनी होगी। कार्यालय के कार्मिकों से कोई सीधा संपर्क नहीं होगा। फर्म द्वारा उपलब्ध कराये गये कार्मिकों द्वारा कार्य में विफलता /लापरवाही अथवा अन्य किसी हानि के होने पर सप्लायर फर्म जिम्मेदार होगी।
14. बोलीदाता अपनी बोली/संविदा को या उसके भाग को किसी अन्य एजेंसी को नहीं सौपेगा या उसे भाडे/किराये पर नहीं देगा।
15. संविदा की शर्तों का उल्लंघन करने पर या कार्य संतोषप्रद नहीं होने पर एवं बोली में सफल होने के बाद भी कार्य नहीं करने पर धरोहर राशि व प्रतिभूति राशि जब्त की जावेगी। तथा बोलीदाता की रिस्क पर बाजार दर से कार्य करवाया जावेगा तथा बोली में स्वीकृत दर व दूसरी संस्था को देय वास्तविक भुगतान की अन्तर राशि बोलीदाता से वसूल की जावेगी।
16. देर से/विलम्ब से प्राप्त बोलीयां एवं बिना धरोहर राशि के प्राप्त बोलीयां पर विचार नहीं किया जायेगा।
17. जैसा कि बोली में वर्णित है, कंप्यूटर जॉब वर्क का भुगतान प्रति कार्ड इकाई तथा तकनीकी विश्लेषण कार्य का भुगतान नमूना के आधार पर होगा।
18. कंप्यूटर जॉब कार्य हेतु, कंप्यूटर व नेट कनेक्शन तथा प्रिन्टर व स्टेशनरी भी सेवाप्रदाता संस्था का स्वयं का होगा। सेवाप्रदाता द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले कंप्यूटर ऑपरेटर की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता— बारहवीं उत्तीर्ण व राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से कंप्यूटर बेसिक कोर्स कार्य व ऑनलाइन कार्य का अनुभव हो। ऑपरेटर ऑनलाइन कार्य में दक्ष एवं अनुभवी होना चाहिए। तकनीकी विश्लेषण कार्य हेतु न्यूनतम — कक्षा 12वीं(विज्ञान) उत्तीर्ण

शैक्षणिक योग्यता- बारहवीं उत्तीर्ण व राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से कंप्यूटर बेसिक कोर्स कार्य व ऑनलाइन कार्य का अनुभव हो। ऑपरेटर ऑनलाइन कार्य में दक्ष एवं अनुभवी होना चाहिए। तकनीकी विश्लेषण कार्य हेतु न्यूनतम - कक्षा 12वीं(विज्ञान) उत्तीर्ण होना चाहिए।

19. कार्यालय द्वारा ब्रॉडबैंड/इंटरनेट कनेक्शन उपलब्ध नहीं कराया जायेगा, लेकिन सर्वर डाउन रहने या अन्य तकनीकी कारणों से होने वाले विलंब के लिए कार्यालय समय के पश्चात् भी कार्य करके कार्य संपादित करना होगा।

20. प्रत्येक सप्ताह में विश्लेषण कर उपलब्ध कराये गये सभी नमूनों को अगले पांच दिवस में आवश्यक रूप से ऑनलाइन फीड करके रिजल्ट अपडेट करना तथा सॉयल हेल्थ कार्ड जारी करना आवश्यक होगा। तथा माह अप्रैल व मई तथा जून 2018 में विश्लेषित किये गये नमूनों की ऑनलाइन फीडिंग कर तीस दिवस में कार्य को प्राथमिकता देते हुए सॉयल हेल्थ कार्ड उपलब्ध कराना आवश्यक होगा।

21. मृदा परीक्षण कार्य हेतु दक्ष एवं विशेष योग्यता वाले उम्मीदवार उपलब्ध करवाने वाली फर्म को प्राथमिकता दी जावेगी।

22. उक्त कार्य हेतु फर्म द्वारा आवश्यक संख्या में कार्मिक उपलब्ध कराने होंगे अर्थात् कार्मिकों की संख्या कार्य के अनुसार एक से अधिक भी हो सकती है।

23. तकनीकी विश्लेषण हेतु कार्मिकों को मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला सांवली रोड, सीकर में उपस्थित रहकर वहां कार्यरत स्टाफ के निर्देशन में कार्य करना होगा, परीक्षण कार्य हेतु आवश्यक सभी मशीन, उपकरण, रसायन एवं अन्य आवश्यक सामग्री कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी।

24. प्रयोगशाला का संचालन भविष्य में दो पारियों में प्रस्तावित है, तथा दो पारियों में संचालन की स्थिति में संस्था को तकनीकी विश्लेषण हेतु कार्मिक किस पारी में उपलब्ध करवाया जाना है, पृथक से आदेशित कर सूचित कर दिया जावेगा।

25. दरें वर्ष 31.03.2019 तक मान्य होगी तथा इस अवधि को आपसी सहमति से आगे भी बढ़ाया जा सकेगा।

26. संस्था को भुगतान कार्य संतोषजनक होने पर, किये गये कार्य के सत्यापन के आधार पर, निष्पादित कार्य का ही किया जायेगा तथा कुल राशि में से नियमानुसार आयकर व अन्य आवश्यक करों की कटौति की जावेगी।

27. निर्धारित समय/अवधि में कार्य सम्पादन नहीं करने पर नियमानुसार शास्ति आरोपित की जावेगी एवं हानियों की वसूली की जावेगी।

28. बोलीदाता को कोई अग्रिम राशि का भुगतान नहीं किया जावेगा।

29. संबंधित एजेंसी द्वारा लगाये गये व्यक्ति का कार्य संतोषजनक नहीं पाया जाता है, तो संबंधित संस्था को उस व्यक्ति के स्थान पर अन्य व्यक्ति को लगाना होगा।

30. अमानत राशि को निम्नलिखित मामलों में समर्पण कर लिया जा सकता है:-

(अ) जब बोलीदाता बोली खोलने के बाद किन्तु बोली को स्वीकार करने से पूर्व प्रस्ताव को वापिस ले लेता है या उसमें उपान्तरण (Modification) करता है।

(ब) जब बोलीदाता निर्विदिष्ट समय के भीतर विहित किसी करार को निष्पादित नहीं करता है।

(स) जब बोलीदाता अदायगी के लिए आदेश देने के बाद प्रतिभूति राशि जमा नहीं कराता है।

31. प्रतिभूति की राशि को पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नलिखित मामलों में समपहृत कर लिया जावेगा।

I. जब की शर्तों का उल्लंघन किया जावेगा।

II. जब बोलीदाता सम्पूर्ण सप्लाई/कार्य संतोषजनक ढंग से करने में असफल रहेगा।

III. जब वह विहित समय के भीतर सप्लाई आदेश के अनुसार सप्लाई प्रारम्भ करने में असफल रहता है।

32. विवाद की स्थिति में न्यायालय परिक्षेत्र, सीकर होगा।

33. बोली को स्वीकार/अस्वीकार करने व रद्द करने तथा बोली शर्तों में संशोधन का सम्पूर्ण अधिकार इस कार्यालय व उपापन कमेटी को होगा।

34. अन्य शर्तें सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम तथा राजस्थान लोक उपापन अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 के अनुसार मान्य होगा।

उप निदेशक कृषि (वि०)  
जि०प० सीकर

उपरोक्त क्रम संख्या 1 से 34 तक की शर्तें मुझे/हमें स्वीकार है, जिसकी सहमति स्वरूप बोली प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर दिये हैं।

बोलीदाता के हस्ताक्षर